<u>मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27–07–2021 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1– श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2– डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
3– श्री वी0 षणमुगम, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।
4– श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5– रिद्धम अग्रवाल, अपर सचिव, गृह विभाग/पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड।
6– श्री अनिल काला, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7– श्री रवनीत चीमा, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
8– श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
9– श्रीमती नीरू गर्ग, डी0आई0जी0 गढ़वाल।
10– श्री ओम प्रकाश, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग।
11– श्री सनत कुमार सिंह, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
12– श्री सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष लीड एजेन्सी उत्तराखण्ड।
13– डॉ0 अनीता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड।
14– श्री स्वप्न किशोर सिंह, एस0पी0 यातायात देहरादून।
15– कर्नल पुनीत जैन, निदेशक, पेयजल शिवालिक, बीआरओ, उत्तराखण्ड।
16– डॉ0 सुमन आर्या, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड।
17– डॉ0 गरिमा पंत, सहायक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड।
18– श्री विनोद कुमार, सहायक निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
19– श्रीमती मधुबाला रावत, उप निदेशक, शिक्षा विभाग।
20– श्रीमती रश्मि पंत, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
21– श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय।
22– श्री पदमेन्द्र सिंह बर्त्वाल, सहा0 अभि0 लो0 नि0 वि0 सदस्य लीड एजेन्सी।
23– श्री शिवा, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
24– श्री अंशुल शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
25– श्री बसुदेव सिंह बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग,सदस्य लीड एजेन्सी।
26– श्री अवनीश चौधरी, निरीक्षक पुलिस विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। सचिव, परिवहन द्वारा मा0 परिवहन मंत्री जी के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में माह जून तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 23 प्रतिशत मृतकों की संख्या में 22.26 प्रतिशत तथा घायलों की

संख्या 41.38 प्रतिशत की कमी आयी है, जबकि गत वर्ष की अपेक्षा माह जून तक 2021 तक दुर्घटनाओं की संख्या में 52.55 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 37.11 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 47.63 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि गत वर्ष 2020 में मार्च से जून तक कोविड संक्रमण के दौरान यात्री वाहनों का संचालन न होने वर्तमान में कोविड अवधि के दौरान निजी वाहनों का संचालन अधिक होने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुयी है। वर्तमान वर्ष में दुपहिया वाहनों से 108, तथा चार पहिया निजी वाहनों से 177, भार वाहनों से 192 दुर्घटनाएं हुयी है, जबकि व्यावसायिक यात्री वाहनों (टैक्सी/मैक्सी एवं बसों) से 53 दुर्घटनाएं हुयी है। बैठक में राज्य में हुई दुर्घटनाओं का क्षेत्रवार (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्रों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों दुर्घटनाओं की संख्या में अधिक वृद्धि पायी गयी। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य राजमार्गों की अपेक्षा राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुयी है।

<u>निर्देश</u> :– मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाये जाने हेतु समस्त हितधारक विभागों द्वारा आवश्यक प्रयास किये जाय।

2– बैठक में, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 14–10–2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिषद् के समक्ष विभागवार प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया गया, साथ ही मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के साथ आहूत वर्चुएल बैठक दिनांक 29–12–2020 में दिये गये निर्देशों से भी मा0 परिषद को अवगत कराया गया।

3– मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 19–06–2020 के द्वारा अत्यधिक दुर्घटनाओं वाले 05 जनपदो (उधम सिहं नगर, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, नैनीताल) में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यात्मक मैकेन्ज्मि निर्मित करने के निर्देश दिये गये थे। सम्बन्धित जनपदों में वर्ष 2021 में वर्ष 2020 की तुलना में माह जून तक दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों की संख्या में कमी के स्थान पर वृद्धि हुई है।

निर्देशः– मा0 मंत्री जी द्वारा दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुये यह निर्देशित किया गया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु समस्त हित धारक विभागों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाय, साथ ही वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि के दृष्टिगत सड़क निर्माण से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की जाय तथा प्रवर्तन कार्य हेतु अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय।

4– बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में चिन्हित 156 ब्लैक स्पॉट में से अभी तक 99 ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालीन कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 57 अवशेष ब्लैक स्पॉट में से 23 स्थलों पर सुधारीकरण की प्रक्रिया गतिमान है।?

निर्देशः– लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि राज्य में चिन्हित किये जाने वाले प्रत्येक ब्लैक स्पॉट का जनपदवार पूर्ण विवरण यथा ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये जाने का कारण, चिन्हांकन का दिनांक, सम्बन्धित स्थल के सुधारीकरण हेतु रोड सेफ्टी ऑडिटर द्वारा दिये गये सुझाव, कृत कार्यवाही, सम्बन्धित स्थल के फोटोग्राफ सहित लीड एजेन्सी को उपलब्ध कराये जाय।

यह भी निर्देश दिये गये है कि ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण रोड सेफ्टी ऑडिट में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कराया जाय तथा प्रत्येक स्थल का सुधारीकरण के पश्चात अनिवार्य रूप से पुनः रोड सेफ्टी ऑडिट कराते हुये सुधारीकरण की आख्या तथा फोटोग्राफ लीड एजेन्सी को उपलब्ध करायी जाय।

5– दुर्घटना सम्भावित स्थलों के सुधारीकरण से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि चिन्हित 2179 स्थलों में से 1198 स्थलों में सुधार की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, अवशेष 981 स्थलों में सुधारीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

निर्देशः– मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान में जो डीपीआर अपूर्ण है उन्हें तत्काल पूर्ण किया जाय तथा धनावंटन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित

डीपीआर पर शासन से समन्वय स्थापित करते हुये प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय।

6— लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राज्य में कुल 3035 जंक्शन चिन्हित किये गये है, जिसमें 530 जंक्शन पर सुधार कार्य पूर्ण किया गया है। अवशेष जंक्शन पर आवश्यक कार्यवाही पूण कर ली जायेगी।

निर्देशः— मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग के अवशेष 2038 जंक्शनों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये समस्त लोअर हरार्की सड़को पर ट्रैफिक कामिंग मेजर्स लगाये जांय।

7— लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में कार्यरत 1274 अभियन्ताओं में से 356 अभियन्ताओं को सड़क सुरक्षा ऑडिट प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

निर्देशः— मा0 मंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त प्रशिक्षण प्राप्त अभियन्ताओं को मास्टर ट्रेनर के नियुक्त करते हुये इनके माध्यम से विभाग के अन्य अभियन्ताओं को भी यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

8— मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राज्य में पैदल यात्रियों से सम्बन्धित सुविधाओं (यथा फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज, अंडर पास एवं टेबल टॉप आदि) के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों कें अनुपालन में **मा0 परिवहन मन्त्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि** समस्त जनपदों में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा विगत 02 वर्षो में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों का विश्लेषण करते हुये ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाय जहां पर पैदल यात्रियों से सम्बन्धित दुर्घटनाएं घटित हुयी है और यह भी इंगित किया जाय कि सम्बन्धित स्थल पर किस प्रकार के सुधारीकरण (निर्माण) की आवश्यकता है? इसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्तर्गत लीड एजेन्सी को उपलब्ध करायी जाय। इस हेतु सचिव परिवहन को निर्देशित किया गया कि तत्काल इस प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश भी निर्गत किया जाय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग को यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त सूचना संकलित रूप से आगामी बैठक में उपलब्ध करायी जाय। लीड एजेन्सी को

निर्देश दिये गये कि भविष्य में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाय।

9— लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु 4655.645 कि0मी0 सड़कों को चिन्हित किया गया है जिसके सापेक्ष 2609.939 कि0मी0 पर क्रैश बैरियर लगाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अवशेष मार्गों पर क्रैश बैरियर निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

निर्देशः— मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों, जल स्रोतो के समीप प्राथमिकता के आधार पर क्रैश बैरियर लगाये जाय तथा इन क्रैश बैरियर पर अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर टेप भी लगायी जाय।

10— राज्य में विभिन्न मार्गों की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि मात्र 03 स्थलों पर अवैध रूप से खोले गये मीडियन्स की सूचना प्रस्तुत की गयी है।

निर्देशः— मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों के विभिन्न मार्गों पर अवैध रूप से खुले मीडियन्स दुर्घटना का प्रमुख कारण है। अतः सभी जनपदों में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा माह में दो बार जनपद के समस्त मार्गों का संयुक्त निरीक्षण किया जाय तथा किसी भी प्रकार के अवैध मीडियन्स खुले पाये जाने पर इन्हें तत्काल बन्द करवाया जाय। भविष्य में जनपदीय सड़क सुरक्षा समितियों से अवैध मीडियन्स की सूचना को बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

11— राज्य में सड़कों के रोड सेफ्टी ऑडिट के सम्बन्ध में की गयी प्रगति से अवगत कराया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ऑडिट हेतु चिन्हित कुल मार्ग (12299.34 कि0मी0) के सापेक्ष अद्यतन कुल 9928.41 कि0मी0 सड़कों पर रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

निर्देशः— उपरोक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा केवल राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों का ही रोड सेफ्टी ऑडिट

किया जा रहा है। अतः जनपद स्तर पर जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर सभी ग्रामीण मार्गों का तीन माह के अन्दर सड़क सुरक्षा सर्वेक्षण किया जाय तथा निरीक्षण आख्या सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय एवं उसकी प्रति लीड एजेन्सी को भी उपलब्ध करायी जाय।

12— जनपदीय सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा की गयी जनपद स्तरीय बैठकों का विवरण मा0 परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। **मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि** सभी जनपदों में निर्धारित मानकों के अनुसार सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाय तथा इन बैठकों का कार्यवृत्त नियमित रूप से लीड एजेन्सी को प्रेषित किया जाय। जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में दिये गये सुझावों, अनुपालन एवं कृत कार्यों का विवरण राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठको में प्रस्तुत किया जाय।

13— राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथान हेतु आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में हरिद्वार जनपद में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से सम्बन्धित कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा उपसम्भागीय कार्यालय ऋषिकेश एवं टिहरी में निर्माण की प्रक्रिया तथा जनपद हरिद्वार एवं हल्द्वानी तथा ऋषिकेश में वाहनों की टेस्टिंग लेन हेतु निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।

<u>निर्देश</u>:— उपरोक्त सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करा लिया जाय।यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे जनपद जहां पर वर्तमान में फिटनेस लेन बनायी जानी सम्भव नहीं है उन जनपदों हेतु मोबाईल फिटनेस वैन क्रय की जाय। हल्द्वानी में प्रस्तावित चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य दीर्घ अवधि से लम्बित है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा लिया जाय।

14– राज्य में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा की गयी प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा करते हुये **मा0 मन्त्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि** अधिकांश दुर्घटनाएं तीव्र गति से वाहन संचालन के कारण घटित हो रही है। अतः जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर ऐसे रोड सेग्मेन्ट चिन्हित किये जांय जहां पर तीव्र गति से दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। एन0एच0, एन0एच0ए0आई0 एवं अन्य सड़क निर्माता संस्थाओं द्वारा इन सभी स्थलों पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगाये जाय तथा अभियोगकर्ता वाहनों के विरूद्ध ऑटोमेटेड चालान सम्बन्धी कार्यवाही की जाय।

(i) राज्य में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को नियन्त्रित करने के लिये प्रवर्तन कार्य में और अधिक वृद्धि की जाय तथा जनपदवार सड़क दुर्घटना के आकड़ों का विश्लेषण करते हुये अभियोग, स्थल आधारित प्रवर्तन स्ट्रैटजी का निर्माण किया जाय।

(ii) ऐसे चालकों जिनके कारण सड़क दुर्घटना में कोई जनहॉनि हुई हो उनके चालक लाईसेन्स को अनिवार्य रूप से निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाय।

15– राज्य में सार्वजनिक परिवहन यानों से घटित सड़क दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच आख्याओं का प्रस्तुत विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश जनपदों द्वारा समयवद्ध रूप से मजिस्ट्रीयल जांच पूर्ण नहीं की जा रही है जिससे दुर्घटना पीड़ितों को राहत राशि का वितरण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

<u>निर्देश</u>:– मा0 परिवहन मन्त्री जी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में लम्बित मजिस्ट्रीयल जांच को तत्काल पूर्ण किया जाय तथा भविष्य में सार्वजनिक परिवहन यान की दुर्घटना घटित होने पर एक माह की अवधि के अन्तर्गत मजिस्ट्रीयल जांच को पूर्ण किया जाय। इस हेतु मण्डल आयुक्त कुमांऊ एवं गढ़वाल को लम्बित जांचों की सूची प्रेषित की जाय तथा उनके स्तर से भी समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाय।

16– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लीड एजेन्सी में शासनादेश के अनुरूप अधिकारियों की तैनाती करने एवं लीड एजेन्सी को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान की जाय तथा लीड एजेन्सी में

प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की निर्धारित संख्या के अनुसार तैनाती किये जाने के निर्देश दिये गये है।

<u>निर्देश</u>:– मा0 मंत्री जी द्वारा मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

17– राज्य में स्थापित ट्रामा केयर सेन्टर एवं ऐम्बुलेंस वाहन की उपलब्धता की समीक्षा करते हुये चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया कि राज्य में वर्तमान में उपलब्ध समस्त निजी एवं सरकारी ऐम्बुलेंस वाहनों को हेल्पलाईन नम्बर 108 से जोड़ा जाय।

(i) स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस विभाग से सम्पर्क करते हुये जनपद में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के ऐसे स्थलों की सूची बनायी जाय जहां पर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है तथा ऐसे स्थलों पर ऐम्बुलेंस वाहनों की तैनाती की जाय।

(ii) 108 वाहनों के माध्यम से चिकित्सालयों में पहुचायें गये दुर्घटना पीड़ितों की जनपदवार सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय। इसके साथ ही यह सूचना भी उपलब्ध करायी जाय कि कितने पीड़ितों को सड़क दुर्घटना के एक घंटे के अन्तर्गत (गोल्डन ऑवर) ऐम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करायी गयी तथा इनमें से कितने पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु हुयी।

(iii) स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐम्बुलेंस वाहनों की मॉनिटरिंग हेतु इन्टीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमाण्ड रूम की स्थापना की जाय।

18– बैठक में आयुक्त, परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा विभाग द्वारा वर्तमान तक लीड एजेन्सी हेतु प्रतिनिधि नामित नहीं किया गया है। जिस कारण चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित अद्यतन सूचनाएं लीड एजेन्सी को उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

<u>निर्देश</u>:– (i) उपरोक्त सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग को निर्देश दिये गये कि विभाग स्तर से लीड एजेन्सी हेतु किसी सक्षम अधिकारी को तत्काल नामित किया जाय।

(ii) भविष्य में चिकित्सा विभाग से वांछित सभी सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार लीड एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाय।

(iii) चिकित्सा विभाग द्वारा तत्काल लीड एजेन्सी से सम्पर्क करते हुये सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित धनराशि के हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा यथा समय आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लीड एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाय।

(iv) शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटित धनराशि को अब तक व्यय नहीं किया गया है, जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुये शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त धनराशि को तत्काल नियमानुसार निर्धारित मदों में व्यय करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र लीड एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाय।

(v) सभी हितधारक विभागों को निर्देश दिये गये गये है कि सड़क सुरक्षा कोष से समय–समय पर आवंटित धनराशि को पूर्ण रूप से व्यय करते हुये आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लीड एजेन्सी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

21– परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालयी छात्र–छात्राओं के मध्य सड़क सुरक्षा जागरूकता विकसित करने हेतु कक्षा–3 से कक्षा–12 तक के विद्यार्थियों के लिये **''सड़क सुरक्षा– एक पहल''** नामक पुस्तक तैयार की गयी है। सम्बन्धित पुस्तिका परिवहन विभाग की बेबसाईट **(https://transport.uk.gov.in)** में भी उपलब्ध है, को मुद्रित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

<u>निर्देशः–</u> मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित पुस्तिका को मुद्रित कराये जाने से पूर्व, हितधारक विभागों से भी परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।

22— सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने, दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यात्रियों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने, राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों की व्यावसायिक वाहनों के द्वारा की जा रही कर अपवंचना एवं अनाधिकृत संचालन पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध परिवहन विभाग की 10 चैकपोस्टों पर ANPR (Automatic number-plate recognition) कैमरे स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 सड़क सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

निर्देशः— मा0 मंत्री जी द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया है कि ए0एन0पी0आर0 कैमरा, स्पीड रडार गन, एल्कोमीटर आदि आवश्यक उपस्करणों से आवश्यक कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गयेः—

1— सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित किये जाय, तथा इनमें अलग—अलग श्रेणी के सड़क उपयोगकर्ताओं का प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाय।

2— पुलिस विभाग को निर्देश दिये गये कि ऐसे वाहन चालकों जिनके कारण हुयी दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी हो, तत्काल उनके चालक लाईसेन्स का सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित लाईसेन्सिंग अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाय।

3— सचिव, विद्यालयी शिक्षा को निर्देशित किया गया कि छात्रों की सुरक्षा हेतु समस्त स्कूली वाहनों (स्कूल वैन, स्कूल बस आदि) में जी0पी0एस0 लगाये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जाय।

4— परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय में स्थापित कमान एण्ड कन्ट्रोल रूम के एक्सेस का लिंक पुलिस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

5— लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सचिव स्तर से ग्रामीण शर्तो के सड़क सुरक्षा ऑडिट हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय।

6— चिकित्सा विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में चिन्हित ब्लैक स्पॉट तथा उससे चिकित्सालयों एवं उपलब्ध एम्बुलेन्स वाहनों की दूरी की मेपिंग करते हुये जनपदवार सूची लीड एजेन्सी एवं जनपदीय सड़क सुरक्षा समितियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाय।

7— राज्य में सड़क दुर्घटना पीडितो की सहायता करने वाले गुडस समेरिटन को प्रोत्साहित करने के लिये रोड सेफ्टी फण्ड से पुलिस विभाग को रूपये 1.00 लाख धनराशि रखे जाने का प्राविधान किया जाय।

8— मा0 समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सर्वाधिक दुर्घटना प्रभावित 05 जनपदों में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रभावी कार्यात्मक मैकेनिज्म का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा स्थलवार कार्ययोजना निर्मित करते हुये प्रवर्तन एवं सड़क सुधार सम्बन्धी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जाय।

9— चिकित्सा एवं पुलिस विभाग द्वारा गोल्डन ऑवर में दुर्घटना पीड़ितो को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर फोकस किया जाय।

10— राज्य सड़क सुरक्षा की आगामी परिषद की आगामी बैठक माह अक्टूबर, 2021 में आयोजित की जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग—1,
संख्या— /ix—1/2021
देहरादून, दिनांक , जुलाई, 2021

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3— प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग/आबकारी विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/वित्त विभाग।
4— पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6— आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8— आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
9— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10— महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
11— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
12— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
13— निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
14— पुलिस उपमहानिरीक्षक/निदेशक यातायात, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
15— रीजनल ऑफिसर, एनएचएआई, उत्तराखण्ड रीजन।
16— कमाण्डेन्ट सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट शिवालिक, आईडीपीएल, वीरभद्र ऋषिकेश।
17— कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट हीरक रई, पिथौरागढ़।
18— समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।
19— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
20— समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन/प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) उत्तराखण्ड।
21— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सचिव, जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।